


कार्यवाही विवरण

दिनांक

15/11

हस्ताक्षर

पत्रावला पेश हुई, तहसीलदार ओसियां की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रामकार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शे में वन टू वन मपिंग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि ग्रामताप.....खसरा नं.276..... जमाबंदी में रकबा एक साथ जुगला दर्ज है जबकि मौके पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए नक्शे में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी एवं संशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।



उप स्रण्ड अधिकारी

एवं

सहायक व सहायक व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियां